

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 27.10.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-19 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मोनू सिंह पुत्र हरि प्रसाद नि० ग्राम तुलसीपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-443/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामू सोनकर पुत्र जयकरन सोनकर नि० सिसई जंगल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-227/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ननकू पुत्र राम मनोहर नि० भटपुरवा वनवरिया थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 300 ग्राम नौसादर, 500 ग्राम यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-817/20, धारा 272.273 भादवि व 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

01 किलो० 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अजय कुमार वर्मा पुत्र रामकुबेर वर्मा नि० छोटी धनोहरी बरईपारा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-327/20, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 27.10.2020 को थाना धानेपुर के उ०नि० अमरनाथ मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को भरतगंज चौराहा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो० 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।

उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 अमरनाथ।
02. उ0नि0 दधिबल यादव।
03. का0 संजीव कुमार मौर्या।
04. का0 कन्हैया लाल।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 27.10.2020

थाना मनकापुर का टॉप-10 अपराधी/हिस्ट्रीशीटर/गैंगेस्टर के विरुद्ध की गयी जब्तीकरण की कार्यवाही—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. नंद किशोर बरुवार पुत्र रामदीन नि0 अगनीपुरवा मौजा भितौरा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-339/18, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास—
 01. मु0अ0सं0-503/13, धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु कूरता अधिनियम थाना हाटा कुशीनगर।
 02. मु0अ0सं0-677/13, धारा 419.420.413.429 भादवि व 3/5 गौवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु कूरता अधिनियम थाना पटेहरवा जनपद कुशीनगर।
 03. मु0अ0सं0-703/13, धारा 8/18/20 एन0डी0पी0एक्ट थाना पटेहरवा जनपद कुशीनगर।
 04. मु0अ0सं0-710/13, धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना पटेहरवा जनपद कुशीनगर।
 05. मु0अ0सं0-8/14, धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु कूरता अधिनियम, 47 से धारा 56 तक ट्रान्सपोर्ट एनीमल एक्ट व 177, 207 एम0वी0 एक्ट व 307 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
 06. मु0अ0सं0-126/15, धारा 419.420 भादवि व 3/5ए/8 गौवध निवारण अधि0 व 3/11/6/30 पशु कूरता अधिनियम थाना गोसाईगंज जनपद फैजाबाद।
 07. मु0अ0सं0-301/16, धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु कूरता अधिनियम थाना को0 नगर जनपद बलरामपुर।
 08. मु0अ0सं0-302/16, धारा 420.120बी भादवि थाना को0 नगर जनपद बलरामपुर।
 09. मु0अ0सं0-303/16, धारा 419.420.467.468.471 भादवि थाना को0 नगर जनपद बलरामपुर।

10. मु0अ0सं0-417 / 16, धारा 3 / 5ए / 8 गौवध निवारण अधि0 व 3 / 11 पशु कूरता अधिनियम थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।
11. मु0अ0सं0-319 / 16, धारा 188 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
12. मु0अ0सं0-339 / 18, धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
13. मु0अ0सं0-148 / 19, 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
14. मु0अ0सं0-334 / 19, धारा 120 बी भादवि, 3 / 5ए / 8 गौवध निवारण अधि0 व 3 / 11 पशु कूरता अधिनियम थाना को0 नगर जनपद अयोध्या।
15. मु0अ0सं0-206 / 19, धारा 147.148.149.307.420.467.468 भादवि थाना रौनाही जनपद अयोध्या।
16. मु0अ0सं0-211 / 19, धारा 3 / 5ए / 8 गौवध निवारण अधि0 व 3 / 11 पशु कूरता अधिनियम थाना रौनाही जनपद अयोध्या।
17. मु0अ0सं0-211 / 19, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण-

उक्त अभियुक्त थाना मनकापुर के टाप-10 अपराधियो में से एक है जो मु0अ0सं0-339 / 18, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा में वांछित चल रहा था। जिसकी विवेचना थाना छपिया द्वारा की जा रही थी। हाजिर अदालत न होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस प्रशासन व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा सम्पत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही कर उसके 03 मकान, 02 प्लाट व .364 हेक्टेयर जमीन (लगभग 8 करोड़, 41 लाख, 50 हजार रुपये) जब्त की गयी। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध लगभग डेढ दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत है।